www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 28.04.2017

चिट फण्ड मामले में आदर्श ग्रुप के तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक को चार वर्ष की कठोर कारावास

सीबीआई मामलों के विशेष मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी भुवनेश्वर ने आदर्श ग्रुप के तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक श्री बिजय कुमार राऊत को दोषी ठहराया एवं उन्हें 15,000 रू. जुर्माने सहित चार वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आदर्श स्टाल्ड फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड एवं आदर्श वेल्थ वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड को भी दोषी ठहराया और कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का संज्ञान लेते हुए 12 करोड़ रू. की धनराशि की क्षतिपूर्ति करने का निर्देश दिया, जिसे भुगतान न पाने वाले जमाकर्ताओं को दिया जायेगा।

सीबीआई ने आदर्श ग्रुप एवं अन्यों के विरूद्ध वर्ष 2013 की समादेश याचिका (सी) संख्या-401 में दिनांक 09.05.2014 को जारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में दिनांक 05.06.2014 को मामला दर्ज किया एवं ओडिसा राज्य के चिट फण्ड घोटाले के सम्बन्ध में भण्डारीपोखरी पुलिस स्टेशन में वर्ष 2013 में दर्ज मामला संख्या 115 की प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) की जॉंच को अपने हाथों में लिया। ऐसा आगे आरोप था कि आदर्श ग्रुप के तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक श्री बिजय कुमार राऊत ने ओडिशा में विभिन्न वित्तीय योजनाएँ चलाई और ऐजेन्टों के माध्यम से जनमानस से धन एकत्र किया। एकत्र की गई धनराशि कथित रूप से बिजय कुमार राऊत को दी गई, जो बाद में, जमाकर्ताओं को भुगतान किए बिना ही फरार हो गया।

जाँच के दौरान, ऐसा पाया गया कि आरोपी व्यक्तियों ने अपनी विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से कथित रूप से 29,86,97,869 रू. (लगभग) की धनराशि जनमानस से एकत्र की तथा केवल कुछ जमाकर्ताओं को 8,19,71,981 रू. (लगभग) वापस किया। इस प्रकार, जमाकर्ताओं से कथित रूप से एकत्र की गई 21.66 करोड़ रू. (लगभग) की जन धनराशि का आरोपी व्यक्तियों द्वारा गबन किया गया।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी, 409, एवं 420 तथा ईनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (पाबन्दी) अधिनियम 1978 की धारा 4, 5 व 6 के तहत 12 अन्य व्यक्तियों सहित आदर्श ग्रुप के तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक श्री बिजय कुमार राऊत और आदर्श स्टाल्ड फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड तथा आदर्श वेल्थ वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड सहित 06 संस्थाओं के विरूद्ध दिनांक 31.12.2016 को आरोप पत्र दायर हुआ। आरोपी बिजय कुमार राऊत ने अपना दोष माना।

अन्य आरोपी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विरूद्ध विचारण ज़ारी है।

****